

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

पत्रावली वनाम ७१२८१८१

किस्म मुकदमा ३७ प्रकरण सं ४१ सन 2025

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख प्रहराम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

27/3/26 पत्रावली पेश। उभय पक्ष उपर कार्य। श्री. निगम जवख पेश कही काना चाहे ही जवख वेद जिना जाकर कहव उभय पक्ष पुत्री जाकर पत्रावली वाले निर्णय 30/3/25 को पेश की।

अति. जिला कलक्टर शाहपुरा

30/3/26 पत्रावली पेश। पत्रावली का आद्योपान्त ध्यान पूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया गया। विद्वान अधिकाता उभय पक्ष की कहल पर मनन किया। दोनो कहल विद्वान अधिकावक निगाएवा ने निगरी में वर्णित स्थलों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पट्टा बाबू लाल श्रींग जो कि ग्राम पंचायत शम्भुगढ़ का निवासी नहीं है के पक्ष में जारी किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली में ऑवरशरिंग एवं कंटिंग की गयी है। आवेदन एवं पत्रावली कई स्थानों पर सुदर संशोधित नहीं है। पूर्व में हमारे आवेदन लखित थे तिनको नजर कदांज का बाबू लाल को पट्टा जारी किया गया जिसमें पंचायती राज नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गयी है कतः पट्टा नियमानुसार नहीं देने से काकिले खारिज है। कतः उक्तगत पट्टे को काजि कामया जावे। विद्वान अधिकाता गैर निगाएवा ने अपने पक्ष में तर्क देते हुये कतः रोध किया कि ग्राम पंचायत शम्भुगढ़ द्वारा जारी पट्टा नियमानुसार होकर विधि सम्मत है। मात्र कतिपय कारणों से निगरी पेश की गयी है जो खारिज योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन पत्र लगायत पट्टा वक सम्पूर्ण पत्रावली में अधिकांश जगह उपरिलेखन एवं कांट-खाट परिभाषित होती है। जो कि संदेहास्पद होकर

अति. जिला कलक्टर शाहपुरा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुर

बनाम

किसम मुकदमा

प्रकरण सं.

सारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30/3/22

कलौनाथ हैं। साथ ही पत्रावली की धाराओं में संबंधित बरिफ सदाम के हलफ नहीं है और आगामी तारीख का उल्लेख भी नहीं है। पत्रावली का संधारण साइकिलो ग्राइल में किया गया है। पत्रावली होने में पंचायतीराज नियम - 1996 के सुसंगत नियमों की गलत नहीं की गयी है। आदेशना में दूधध का दिव्य डिपॉजिशन कठित है तथा बड़ा प्रश्न में आगामी होने के ख. सं. का नमून भी नहीं है। पृष्ठ के छिद्र 3 में निम्न उल्लेख है।

उक्त नीलान अद्यतन यथा संबंधित राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 150 के 152 के अनुसरण में किया गया था।

जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई भी रस्तावेज संलग्न नहीं है जिसे प्रश्नगत पृष्ठ से संबंधित दूधध की नीलानी होना समझित है।

निष्कर्षतः प्रश्नगत विधि के सुसंगत प्रावधानों की अवहेलना/अनदेखी न जा रही किया गया है। तब अत्यंत निगरानी खीसा की जाती है प्रश्नगत पत्रा खारिज किया जाता है। निर्वाचक दृष्ट से जिथा जात शक्ति पत्रावली है। पत्रावली केवल धुमा से नम्बर से कम की जात दाखिल करता है। निर्वाचक जिथा जात से खाली हुवाप गता

अति जिला कलक्टर
शाहपुर